



॥ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॥

कमांक

शासकीय धनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय

बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)

(15 अगस्त 1983 से संचालित)

website-www.govtcollbalod.ac.in

(हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से संबद्ध)

(यू.जी.सी. की धारा 2 (F) एवं 12 (B) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त)



शासकीय धनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद

विवरण-पत्रिका

सत्र : 2016 - 2017

‘रैगिंग दण्डनीय अपराध है’



अनुक्रमणिका

प्रथम खण्ड

1. संस्था का परिचय	—	03
2. संचालित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट	—	
अ. संचालित पाठ्यक्रम	—	05
ब. प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट	—	06
3. शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ एवं छात्र सुविधाएँ	—	07

द्वितीय खण्ड

1. प्रवेश संबंधी नियम	—	08
2. अनर्हता	—	09
3. प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र	—	10
4. शुल्क संबंधी विवरण	—	10
5. प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र	—	12
6. छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्ति	—	13
7. उपस्थिति निर्देश	—	13
8. अभिभावक शिक्षक बैठक	—	14

तृतीय खण्ड

1. विद्यार्थी आचार संहिता	—	14
2. महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र	—	15

चतुर्थ खण्ड

1. प्रवेश आवेदन-पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश एवं अभिलेख सूची	—	16
2. रैगिंग निषेध संबंधी प्रावधान	—	17
3. महाविद्यालय परिवार	—	18
4. शैक्षणिक कैलेण्डर	—	19-20
5. रैगिंग निषेध संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप	—	21-22



प्रथम खण्ड संस्था का परिचय

छत्तीसगढ़ राज्य के नवगठित जिला बालोद का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है। शिक्षा और संस्कारों की नगरी में उच्च शिक्षा के प्रथम पायदान के रूप में शासकीय विज्ञान, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना 15 अगस्त सन् 1983 को की गई। वर्तमान में इस महाविद्यालय को शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। स्थापना के प्रथम वर्ष में महाविद्यालय में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य की स्नातक उपाधि हेतु कुल 219 विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लिया गया था। निरन्तर प्रगति के अनेक सोपान तय करने के उपरांत सत्र 2015-16 में प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्राओं की कुल संख्या 2000 तक पहुंच चुकी हैं।

प्रारंभिक वर्षों में महाविद्यालय नगर के जनपद पंचायत कार्यालय, गांधी भवन एवं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संचालित होता था। सन् 1988 से शहर से दो कि.मी. की दूरी पर दुर्ग – दल्लीराजहरा मार्ग पर तांदुला जलाशय के मनोरम परिवेश के सन्निकट महाविद्यालय का अपना दो मंजिला भवन स्थापित है। वर्तमान में महाविद्यालय में 19 अध्यापन कक्ष, एक सभागार, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, बायोटेक गृहविज्ञान आदि की प्रयोगशाला तथा 50 कम्प्यूटरों से सुसज्जित कम्प्यूटर लैब, विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की लगभग 30000 पुस्तकों एवं अकादमिक जर्नल्स की आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक सुव्यवस्थित पृथक ग्रंथालय भवन भी उपलब्ध है। सत्र 2011-12 से महाविद्यालय में कन्या छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय परिसर में क्रीड़ा विभाग के अंतर्गत वर्ष भर क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन हेतु खो-खो, कबड्डी, व्हालीबाल, क्रिकेट व बैडमिंटन खेलों हेतु मैदान की सुविधा भी उपलब्ध है।

अध्ययन विस्तार के दृष्टिकोण से भी महाविद्यालय प्रगति पथ पर अग्रसर है। सत्र 1986-87 से स्नातकोत्तर स्तर पर एम.कॉम. में अध्यापन की सुविधा प्रारंभ हुई। सत्र 1987-88 से महाविद्यालय में गणित तथा अर्थशास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर की कक्षाएँ प्रारंभ हुई। वर्ष 1995-96 में विधि कक्षाएँ भी प्रारंभ की गई। विधि संकाय हेतु महाविद्यालय परिसर में सर्व सुविधा युक्त पृथक भवन है।

सत्र 2003-04 में राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय में तथा सत्र 2007-08 से शासन द्वारा वनस्पतिशास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएँ, प्रारंभ हुई। सत्र 2010-11 से विज्ञान संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर विज्ञान की कक्षाएँ शासन की अनुमति से प्रारंभ हुई। सत्र 2013-14 से हिन्दी विषय की स्नातकोत्तर कक्षाएँ जनभागीदारी मद से संचालित है। सत्र 2016-17 से स्नातक में भूगोल एवं बायोटेक्नोलाजी की कक्षाएँ छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति से प्रारंभ हुई है।

संसाधनों की कमी के पश्चात् भी लगातार सफलता के नये पायदान पर चढ़ने के फलस्वरूप सत्र 2008 में महाविद्यालय को छ.ग. शासन द्वारा स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया तथा 2008 से महाविद्यालय का नामकरण उपरांत शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद किया गया। शैक्षणिक सफलताओं में भी महाविद्यालय के विद्यार्थियों का कीर्तिमान अच्छा रहा है। कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय एवं विधि संकाय के विद्यार्थी विगत वर्षों में विश्वविद्यालयीन परीक्षा की प्रावीण्य सूची में प्रतिवर्ष स्थान प्राप्त करते रहे हैं।



खेल गतिविधियों के क्षेत्र में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एवं राज्य क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का प्रतिनिधित्व किया है। सत्र 2010-11 में जिला स्तरीय महिला कबड्डी विजेता का पदक भी प्राप्त किया है जो महाविद्यालय के क्रीड़ा के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता का प्रमाण है। सत्र 2014-15 में भी महाविद्यालय की कबड्डी टीम सेक्टर स्तरीय प्रतियोगिता में विजय रही है। सत्र 2012-13 में महाविद्यालय की शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) का गठन किया गया है इस प्रकोष्ठ में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविद् एवं महाविद्यालय के प्राध्यापक सम्मिलित है।

छात्र/छात्राओं को रोजगार एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन हेतु कैरियर काउंसिलिंग प्रकोष्ठ गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त जैण्डर ईशू प्रकोष्ठ, ऐण्टी रैगिंग प्रकोष्ठ भी गठित है जो छात्र/छात्राओं के हित के लिये प्रयासरत है।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रेडक्रास सोसायटी की सक्रिय भूमिका रही है प्रतिवर्ष रेडक्रास सोसायटी द्वारा नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं की ब्लड ग्रुप जांच की जाती है। प्रतिवर्ष छात्रगण ब्लड डोनेशन का भी कार्य करते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधा रोपण कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) शिविर बौद्धिक विकास एवं अकादमिक गतिविधियां, कार्यशाला, सेमीनार, विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान आदि का आयोजन विद्यार्थियों के लाभार्थ किये जाते हैं।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन समिति (NAAC) द्वारा भी महाविद्यालय का पूर्व में मूल्यांकन हो चुका है। सन 2012 में छ.ग. शासन द्वारा बालोद को जिला बनाने के पश्चात् इस महाविद्यालय को जिले का चिन्हित (अग्रणी) महाविद्यालय घोषित किया गया है।

महाविद्यालय अपनी गरिमा एवं अनुशासन के साथ-साथ वार्षिक शैक्षणिक कैलेण्डर का परिपालन करते हुए सफलता के साथ प्रगति पथ की ओर बढ़ रहा है।



संचालित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान अ – संचालित पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों का विषय संयोजनयुक्त विवरण निम्न प्रकार से है।

I. स्नातक स्तर :

स्नातक स्तर पर सभी संकायों के विद्यार्थियों को आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरणीय अध्ययन (केवल प्रथम वर्ष के लिए) विषयों का अध्ययन अनिवार्यतः करना होगा।

A. कला संकाय (बी.ए.) :

निम्न वैकल्पिक विषयों में से किन्ही तीन (03) समूहों के विषय का अध्ययन करना अनिवार्य है –

समूह एक	–	हिन्दी साहित्य
समूह दो	–	अर्थशास्त्र
समूह तीन	–	राजनीति विज्ञान/गृह विज्ञान
समूह चार	–	समाज शास्त्र
समूह पांच	–	इतिहास
समूह छः	–	भूगोल

B. विज्ञान संकाय (बी.एस.सी.) :

निम्न समूहों में से किसी एक (01) समूह का चयन करना होगा –

समूह एक	–	गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र
समूह दो	–	गणित, भौतिक शास्त्र, कम्प्यूटर साइंस
समूह तीन	–	रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र,
समूह चार	–	रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)

C. वाणिज्य संकाय (बी.काम.) :

विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के अनुसार विद्यार्थियों को सभी अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना होगा।

समूह एक	–	लेखांकन
समूह दो	–	व्यावसायिक प्रबंध
समूह तीन	–	व्यावहारिक अर्थशास्त्र

D. विधि संकाय (एल.एल.बी.) :

इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सेमेस्टर पद्धति से महाविद्यालय में अध्यापन कार्य संचालित किया जा रहा है। अतः सभी सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनिवार्य विषयों में ही अध्यापन किया जा रहा है।

II. स्नातकोत्तर स्तर :

महाविद्यालय में संचालित निम्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन कार्य किया जाता है –

A. कला संकाय :

एम.ए.	–	अर्थशास्त्र
एम.ए.	–	समाजशास्त्र
एम.ए.	–	राजनीतिशास्त्र
एम.ए.	–	हिन्दी साहित्य

**B. विज्ञान संकाय :**

- एम.एस.सी. – गणित
एम.एस.सी. – वनस्पतिशास्त्र

C. वाणिज्य संकाय :

एम.काम.

- टीप – 1. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं चयनित वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में ही प्रवेश दिया जावेगा।
2. विद्यार्थी अपनी उपाधि के लिए विषयों का चयन सावधानी पूर्वक करें।
3. विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना तथा निश्चित अवधि के बाद प्रवेश समिति एवं विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के बिना नहीं होगा।

ब – प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट

1.	बी.ए. भाग एक	–	350
2.	बी.काम भाग एक	–	200
3.	बी.एस.सी. भाग एक (बायो समूह)	–	200 (बायो)
4.	बी.एस.सी. भाग एक (गणित समूह)	–	150
5.	बी.एस.सी. भाग एक (कम्प्यूटर साइंस)	–	150
6.	बी.सी.ए. भाग एक	–	25
7.	एम.काम. प्रथम सेमेस्टर	–	25
8.	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (गणित)	–	25
9.	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (वनस्पति शास्त्र)	–	20
10.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (अर्थशास्त्र)	–	25
11.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (समाज शास्त्र)	–	25
12.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (राजनीति शास्त्र)	–	25
13.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (हिन्दी)	–	25
14.	एल.एल.बी. भाग एक	–	64

राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी एवं वि.वि. के अकादमिक कैलेंडर के अनुसार महाविद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ होगा।

ग्रंथालय

महाविद्यालय में ग्रंथालय एवं वाचनालय की व्यवस्था है। नियमित विद्यार्थियों को ग्रंथालय से पुस्तकें दी जाती हैं। विद्यार्थी इस संबंध में ध्यान दें कि उनके संकाय हेतु निर्धारित दिन एवं निश्चित समय पर ही ग्रंथालय से पुस्तकों का लेन-देन करें। पुस्तकें प्राप्त करते समय उन्हें अपना परिचय पत्र एवं पुस्तकालय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एक विद्यार्थी द्वारा उसे दी गई पुस्तकें खो देने अथवा क्षतिग्रस्त कर दिये जाने पर पुस्तक का नवीनतम मूल्य एवं अर्थदण्ड की वसूली की जा सकेगी। मात्र 14 दिनों के लिये एक पुस्तक दी जा सकती है। पुस्तकें 14 दिनों से अधिक रखने पर प्रतिदिन 1रु. की दर से अर्थदण्ड देना होगा। स्नातकोत्तर कक्षाओं में सभी विभागों के विभागीय ग्रंथालय भी संचालित हैं। विद्यार्थियों को पुस्तकालय में N.List सुविधा भी उपलब्ध है।

**अधोलिखित बातों पर ध्यान दें :-**

1. पुस्तकें निर्गत करते समय सावधानीपूर्वक उनका निरीक्षण कर लें। पुस्तक के पृष्ठ कटे-फटे या गायब होने पर ग्रंथालय को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करा लें।
2. पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तक में लिखना, रेखांकित करना, पृष्ठ को निकालना या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना दण्डनीय कार्य है।
3. पुस्तक एक अच्छा साथी है। अध्ययन काल में विद्यार्थी की वह सच्ची जीवनदर्शिका है। अतः विद्यार्थियों को चाहिये कि वे उसकी सुरक्षा के निमित्त ग्रंथालय के सभी नियम – निर्देशों का भली भांति पालन करें।

निम्न समय सारणी अनुसार कार्यवाही संपादित की जा रही है ।

1. ग्रंथालय की सदस्यता : प्रवेश के साथ ही सदस्य सूची में सम्मिलित किया जाता है।
2. ग्रंथालय से विद्यार्थियों को पुस्तकें निर्गत एवं वापसी संबंधी :-

समय-सारणी

क्रमांक	दिन	कक्षा	समय
1	सोमवार	बी.ए. भाग - 1	प्रातः 11:00 से 4:30 बजे तक
2	मंगलवार	बी.ए. भाग - 2 एवं बी.ए. भाग - 3	प्रातः 11:00 से 4:30 बजे तक
3	बुधवार	विधि खण्ड - 1, 2, 3 एम.ए. - समाजशास्त्र, हिन्दी, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र एम.एस.सी. - वनस्पतिशास्त्र एवं गणित	प्रातः 11:00 से 4:00 बजे तक प्रातः 11:00 से 4:30 बजे तक
4	गुरुवार	बी.एस.सी. भाग - 1 (बायो / गणित / कम्प्यूटर)	प्रातः 11:00 से 4:30 बजे तक
5	शुक्रवार	बी.काम. भाग - 1, 2, 3, एम.काम.	प्रातः 10:00 से 4:00 बजे तक
6	शनिवार	बी.एस.सी. भाग - 2, 3 (बायो / गणित / कम्प्यूटर)	प्रातः 11:00 से 4:00 बजे तक

3. ग्रंथालय / वाचनालय : 10:30 बजे से 04:00 बजे तक
 4. संदर्भ सेवा : 11:00 बजे से 04:00 बजे तक
 5. अनुसूचित जाति / जनजाति एवं बी.पी.एल. छात्र / छात्राओं को बुक बैंक योजनांतर्गत पुस्तकें संबंधी दिशा निर्देश / नियमों की जानकारी / प्रशिक्षण : अगस्त, सितम्बर
 6. अनुसूचित जाति / जनजाति बुक बैंक / बी.पी.एल. छात्र-छात्राओं से आवेदन मंगाना एवं वर्ष भर के लिए पुस्तकें निर्गत करना : अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर
 7. ग्रंथालय सेवा का उपयोग हेतु छात्र / छात्राओं का उन्मुखीकरण कक्षावार : अगस्त
 8. ग्रंथालय व्यवसायिक / रोजगार मार्गदर्शन (प्रकोष्ठ द्वारा) : प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार
 9. वार्षिक परीक्षा पूर्व नियमित छात्र / छात्राओं को अदेय प्रमाण पत्र प्रदाय : फरवरी
- नोट : 1. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रति सप्ताह सोमवार और मंगलवार को विभागीय पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों का निर्गमन कार्य किया जायेगा। (विभागाध्यक्ष द्वारा घोषित समयानुसार)



शारीरिक प्रशिक्षण एवं क्रीड़ा

महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए और शरीर कल्याण मण्डल द्वारा अनुमोदित शारीरिक शिक्षण की व्यवस्था की गई है। महाविद्यालय का शारीरिक शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के खेल कैलेण्डर अनुसार नियमित छात्रों के लिए प्रतिवर्ष क्रमशः शतरंज, खो-खो, कबड्डी, टेबल टेनिस, कुश्ती, व्हालीबाल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बैडमिंटन आदि खेलों का प्रशिक्षण एवं आयोजन करता है। खेलों में आउटडोर एवं इनडोर दोनों प्रकार के खेलों की शिक्षा दी जाती है एवं प्रशिक्षण के पश्चात महाविद्यालय की विभिन्न खेलों की टीमों विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करती हैं। महाविद्यालय में खो-खो, कबड्डी, क्रिकेट, व्हालीबाल, बैडमिंटन खेलों में मैदान की सुविधा उपलब्ध है।

महाविद्यालय के मिनी स्टेडियम में खेल अधिकारी प्रातः 8 से 10 बजे तक छात्रों को खेल प्रशिक्षण देते हैं इसके अतिरिक्त संध्या 4 से 6 बजे तक बैडमिंटन, बास्केट बाल व व्हालीबाल जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। आयुक्त उच्च शिक्षा एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा प्रेषित कैलेण्डर के अनुसार विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं महाविद्यालय स्तर आयोजित किया जाना संभव होगा।

रियायतें :- राज्य एवं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को नियमानुसार प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी। छात्र/छात्राएं प्रवेश के बाद जिन खेलकूदों में उनकी विशेष रुचि हो उसकी सूचना क्रीड़ा अधिकारी को दें।

राष्ट्रीय सेवा योजना :-

महाविद्यालय में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा 100 विद्यार्थियों की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई संचालित है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा विविध सांस्कृतिक गतिविधियां, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सेवा भावना जागृत करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजन के साथ-साथ बौद्धिक विकास हेतु अन्य नियमित गतिविधियां संचालित की जाती है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा :

महाविद्यालय को छ.ग. शासन की कौशल विकास योजना के अंतर्गत VTP (व्होकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर) संस्था के रूप में भी उद्योग विभाग द्वारा पंजीकृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सॉफ्ट स्किल, बैंकिंग, एकाउंटिंग, सूचना तकनीक, कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत इच्छुक छात्र/छात्राओं तथा स्थानीय युवक/युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यह प्रशिक्षण महाविद्यालय के नियमित अध्यापन समय के पश्चात ही दिया जा सकेगा।

द्वितीय खण्ड

अ – प्रवेश संबंधी नियम :

1. स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु वे विद्यार्थी पात्रता रखेंगे, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़, रायपुर से 10+2 कक्षा अथवा अन्य समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों एवं अधिभार (जहां देय है) देकर कुल प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।
2. स्नातकोत्तर/विधि संकाय के प्रथम वर्ष में स्नातक समन्वित पाठ्यक्रम परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्रायें ही प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों एवं अधिभार (जहां देय है) देकर कुल प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।



3. वांछित संकाय में प्रवेश न होने की स्थिति में अन्य वैकल्पिक संकाय में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी अलग-अलग वैकल्पिक संकाय के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। संकाय परिवर्तन की स्थिति में पांच प्रतिशत प्राप्तांक घटाकर प्रवेश सूची में गुणात्मक का निर्धारण किया जावेगा।
4. महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश नवीनीकरण उनके द्वारा पिछली अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर लिये जाने पर नियमानुसार किया जा सकेगा।
5. प्रवेश इच्छुक ऐसे विद्यार्थी जिनका अध्ययन लगातार न हुआ, के आवेदन पर स्थान रिक्त रहने पर गुणानुक्रम के आधार पर ही विचार किया जावेगा। प्रवेश प्राथमिकता का क्रम क्रमशः उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व एवं स्वाध्यायी उत्तीर्ण आवेदकों के अनुसार होगा।
6. छत्तीसगढ़ बोर्ड तथा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग को छोड़कर अन्य बोर्ड तथा विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवजन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
7. राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी शासकीय कर्मचारी का पदांकन छत्तीसगढ़ में होने की स्थिति में उनके पुत्र/पुत्रियों को प्रवेश दिया जावेगा, बशर्ते स्थान रिक्त हो तथा पूर्वोक्त शर्तें पूरी की जायें। इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा खोले गये अन्तर्राज्यीय व्यवसायों के कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियों को भी प्रवेश उपलब्ध रहने पर प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही संभव होगा।
8. महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग विद्यार्थियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों/प्रपौत्र व प्रपौत्री हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित स्थान आरक्षित रहेंगे। सभी वर्गों हेतु उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं हेतु आरक्षित रहेंगे।
9. आरक्षण व्यवस्था एवं प्रवेश नियम संबंधित सत्र में शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के अनुसार अधिशाषित होगा।

ब – अनर्हता

निम्न प्रकार के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा –

1. जिन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयीन परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया गया हो।
2. जिन विद्यार्थियों के विरुद्ध महाविद्यालय से संबंधित गंभीर अपराध का प्रकरण न्यायालय में लंबित हो।
3. जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित किया हो।
4. जो छात्र स्नातक स्तर पर किसी एक संकाय की उपाधि प्राप्त कर लेता है उसके स्नातक स्तर पर अन्य किसी संकाय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश की पात्रता नहीं है।
5. ऐसे विद्यार्थी जो महाविद्यालय की किसी कक्षा में प्रवेश लेकर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित न हुये हो, को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
6. जिन विद्यार्थियों के विरुद्ध महाविद्यालय प्राध्यापक परिषद द्वारा सर्वानुमति से प्रवेश न देने संबंधी निर्णय किया गया हो। जिनका व्यवहार पिछले सत्र में अच्छा न रहा हो।
7. स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष व स्नातकोत्तर स्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला आवेदकों को 3 वर्ष तथा निःशक्त आवेदकों को 5 वर्ष की छूट) के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
8. विधि संकाय त्रि-वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदक की अधिकतम आयु शासन के निर्देशानुसार लागू होगी।



स – आवश्यक प्रमाण पत्र

प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अधोलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मूल प्रति) यह केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो अन्य शैक्षणिक संस्था से इस महाविद्यालय में प्रवेश पाना चाहते हैं।
2. विगत परीक्षा के स्व-प्रमाणित अंकसूची की छाया प्रति।
3. छत्तीसगढ़ निवासी होने का प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त होना चाहिए।
4. चरित्र प्रमाण पत्र जिन विद्यार्थियों ने निजी परीक्षार्थी के रूप में विगत अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
5. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र यह उन विद्यार्थियों के लिए देय होगा जो किसी संस्था में सेवारत हो।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग छात्र छत्तीसगढ़ शासन के तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
7. प्रव्रजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) यदि आवेदक ने विगत परीक्षा अन्य राज्य के बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो।
8. राज्य के बाहर के वि.वि. से उत्तीर्ण किन्तु इस महाविद्यालय में प्रवेश इच्छुक आवेदक का वि.वि. की पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. प्रत्येक छात्र को अपने प्रवेश आवेदन पत्र में अपनी पासपोर्ट साईज की एक फोटो अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।
10. प्रवेश साक्षात्कार के समय संदर्भित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
11. प्रवेश लेने वाली कक्षा के पिछली परीक्षा से कक्षा 10वीं तक के परीक्षा की अंकसूची की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
12. प्रवेश प्राप्त होने की दशा में प्रत्येक छात्र को 'रैगिंग निशेध' संबंधी ओथ कमिश्नर के समक्ष वेबसाइट www.antiragging.in अथवा www.amanmovement.org पर दर्शित प्रारूप में निष्पादित शपथ-पत्र की मूल प्रति जमा करनी होगी, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
13. प्रवेश के समय छात्र एवं अभिभावक समक्ष में उपस्थित रहें, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

शुल्क संबंधी विवरण :-

जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा प्रवेश की अनुमति दी जायेगी उन्हें सत्र प्रारंभ में शिक्षण शुल्क के साथ-साथ अन्य शुल्क भी जमा करने होंगे। यह भी ध्यान रखें कि विद्यार्थी शुल्क स्वयं जमा करें, साथ ही उसी समय रसीद प्राप्त कर लें। यदि रसीद मिलने में कोई कठिनाई हो तो तुरंत प्राचार्य को सूचित करें। इस सुविधा के बावजूद भी यदि कोई विद्यार्थी रसीद प्राप्त नहीं करता तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी। संकाय तथा विषय के अनुसार सभी शुल्क अनिवार्य है। यदि "शिक्षण शुल्क छूट" के अंतर्गत विद्यार्थी आते हैं तो वे तत्संबंधी प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टियां पूरी करके प्रवेश आवेदन – पत्र के साथ उसे प्रस्तुत करें। शिक्षण शुल्क संबंधी प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त कर लें। छत्तीसगढ़ के अन्य शासकीय महाविद्यालय से स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश लेने पर जिस अवधि के शिक्षण शुल्क का भुगतान विद्यार्थी कर चुके हैं वह इस महाविद्यालय में नहीं लिया जायेगा। नामांकन शुल्क उन विद्यार्थियों के लिए देय होगा जो बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरित होकर हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में नामांकन चाहते हैं। विज्ञान, कला एवं वाणिज्य, विधि संकायों के सभी छात्र/छात्राओं को संपूर्ण सत्र का शिक्षण शुल्क एक मुश्त प्रवेश के समय देना होगा। एक बार शुल्क देने के बाद उसका प्रत्यापन नहीं होगा।



विभिन्न शुल्को का विवरण –

(अ) शासकीय शुल्क :

1. पूरे सत्र का शिक्षण शुल्क	—	115/— रु.
2. महाविद्यालयीन स्टेशनरी	—	2/— रु.
3. प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान एव बी.सी.ए. संकाय)	—	20/— रु.
4. प्रयोगशाला शुल्क (भूगोल एवं गृह विज्ञान विषय)	—	10/— रु.
5. प्रवेश शुल्क	—	3/— रु.
6. पुनः प्रवेश शुल्क	—	10/— रु.

(ब) अशासकीय शुल्क :

1. सम्मिलित निधि	—	20/— रु.
2. क्रीड़ा शुल्क	—	12/— रु.
3. स्नेह सम्मेलन शुल्क	—	5/— रु.
4. परिचय पत्र शुल्क	—	3/— रु.
5. सायकल स्टैण्ड शुल्क	—	10/— रु.
6. महाविद्यालय विकास शुल्क	—	25/— रु.
7. छात्रसंघ शुल्क	—	2/— रु.
8. चिकित्सा शुल्क	—	3/— रु.
9. छात्र कल्याण शुल्क	—	5/— रु.
10. कामन रूम शुल्क	—	20/— रु.
11. ग्रंथालय कार्य शुल्क	—	2/— रु.
12. विभागीय पुस्तकालय शुल्क(स्नातकोत्तर)	—	15/— रु.
13. विलम्ब शुल्क	—	100/— रु.

(स) विश्वविद्यालयीन शुल्क :

1. शारीरिक कल्याण शुल्क	—	150/— रु.
-------------------------	---	-----------

(द) (1.) जनभागीदारी/प्रबंधन शुल्क नियमित छात्रों के लिए :-

1. बी.ए./बी.काम. संकाय के लिए	—	400/— रु.
2. बी.एस.सी. गणित/बायो संकाय के लिए	—	500/— रु.
3. बी.एस.सी. कम्प्यूटर/बी.सी.ए. संकाय के लिए	—	900/— रु.
4. एल.एल.बी. संकाय के लिए	—	400/— रु.
5. एम.काम./एम.ए.	—	400/— रु.
6. एम.एस.सी. बॉटनी/गणित	—	500/— रु.

(2.) अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिए जनभागीदारी शुल्क :-	—	300/— रु.
---	---	-----------

(इ) विधि के छात्रों को प्रतिमाह विधि शिक्षण शुल्क	—	100/— रु.
---	---	-----------

(फ) रेडकास शुल्क(समस्त छात्रों के लिए)	—	25/— रु.
--	---	----------



(ज) स्टेशनरी व्यय :-

1) परीक्षा संबंधी नियम की कण्डिका क्रमांक 1 के तहत प्रवेशित प्रत्येक छात्र-छात्राओं को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के लिए 50=00 रुपये स्टेशनरी व्यय जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि प्रवेश शुल्क के साथ ही देय होगा।

धरोहर राशि (काशन मनी) :-

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी को क्रमशः रु. 60/- एवं 100/- धरोहर राशि अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। शासकीय निर्देशानुसार इनमें परिवर्तन किये जा सकते हैं।

धरोहर राशि की वापसी :-

1. महाविद्यालय छोड़ने पर धरोहर राशि निकालने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर माता/पिता/पालक के हस्ताक्षर सहित महाविद्यालय में 15 दिन पूर्व जमा करें।
2. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के बाद ही धरोहर राशि वापस दी जायेगी।
3. मूल रसीद संलग्न न होने पर धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के दो वर्ष के अन्दर धरोहर राशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन देना होगा। 02 वर्ष व्यतीत होने पर शासन के आदेशानुसार धरोहर राशि वापस नहीं की जावेगी उसे राजसात कर शासकीय कोष में जमा किया जावेगा।

शुल्क संबंधी रियायतें :-

1. छत्तीसगढ़ शासन में सेवारत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए अध्ययन शुल्क में छूट दी जाती है। यह रियायत छात्रों को जिस कार्यालय में उनके माता पिता सेवारत हो उस कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जा सकेगी।
2. निर्धन छात्र सहायता कोष से निर्धन व योग्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को केवल शिक्षण शुल्क में सहायता ली जावेगी।
3. छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क में नियमानुसार रियायत दी जायेगी।
4. यदि दो या अधिक भाई/बहन एक ही परिवार से इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं तो उनमें से बड़े को पूर्ण एवं कनिष्ठ को आधा शुल्क देना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं समस्त वर्ग के छात्रा को शिक्षण शुल्क के भुगतान से पूर्णतः मुक्त है। इसके लिए उन्हे सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य शुल्क उन्हे पूरा जमा करना होगा।

प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र :-

प्रवेश पत्र महाविद्यालय में प्रवेश का सूचक है। प्रवेश पत्र गुम हो जाने पर शपथ पत्र के साथ पुनः 10/- रुपये जमा कर द्वितीय प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी प्राप्त होगा। अपनी उपस्थिति के दौरान परिचय पत्र साथ में रखना अनिवार्य है। इसके अभाव में महाविद्यालय में, पुस्तकालय में या अन्य स्थानों पर जहां इसका औचित्य हो विद्यार्थियों को लाभ से वंचित किया जा सकता है। परिचय पत्र में विद्यार्थियों की प्राचार्य द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो भी लगी



होनी चाहिये। परिचय पत्र के गुम हो जाने पर 10/- रूपये व शपथ पत्र जमा कर द्वितीय परिचय पत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

नोट – शुल्क जमा करते समय विद्यार्थी के पास परिचय पत्र एवं प्रवेश पत्र का होना नितांत आवश्यक हैं
छात्रवृत्तियां एवं शिष्यवृत्ति :-

1. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारत सरकार की ओर से नियमित छात्रों को अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां एवं शिष्यवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। जिनका ब्यौरा सूचना फलक पर लगा दिया जाता है। इच्छुक छात्र पात्रतानुसार अपने आवेदन पर निर्धारित अंतिम तिथि के पहले भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में प्रस्तुत करें। एक छात्र/छात्रा को नियमानुसार केवल एक ही छात्रवृत्ति का लाभ लेने की पात्रता होगी। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन जमा करने से पूर्व आवेदक को स्टेट बैंक/निर्धारित अन्य बैंक में अपना बचत खाता अनिवार्यतः खोलना होगा जिसका उल्लेख प्रवेश आवेदन पत्र तथा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अनिवार्यतः करना होगा।

टीप :-

1. महाविद्यालय में विभिन्न छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथियां महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित की जावेगी।
2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थी को शासन द्वारा संचालित बी.पी.एल. बुक बैंक योजना, बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने के लिए बी.पी.एल. (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रवेश पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सुविधा :-

(अ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को विविध छात्रवृत्तियां दी जाती है जिसके लिए आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ब) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग छात्र/छात्राओं के लिए विशेष रिमेडियल कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की उपयुक्त समय पर महाविद्यालय द्वारा की जाती है।

उपस्थिति निर्देश :-

विश्वविद्यालयीन अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्र. 7 के अनुसार महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने की "पात्रता" अर्जित करने हेतु उनकी 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। प्रायोगिक कक्षाओं में भी (यदि हो तो) विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रहने पर विश्वविद्यालयीन परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में परीक्षा देने की पात्रता नहीं होगी। ऐसे छात्रों को देय छात्रवृत्ति भी रोकी जा सकती है।

उपस्थिति की गणना सत्र में दो बार की जावेगी।

- 1) दिनांक 31/10/2016 की स्थिति में।



2) दिनांक 17/02/2017 की स्थिति में।

नोट : कम उपस्थिति बाबत सूची कक्षावार, विषयवार महाविद्यालय के सूचना पटल पर लगाई जावेगी एवं कक्षाओं में भी प्रसारित की जावेगी। इसकी सूचना छात्र/छात्राओं के पालकों को अभिभावक शिक्षक बैठक में दी जायेगी।

अभिभावक शिक्षक बैठक :-

महाविद्यालय में प्रत्येक सत्र में दो बार अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें विद्यार्थियों के अभिभावकों को शिक्षकगण उनके पाल्यों की शैक्षणिक प्रगति, उपस्थिति, आचरण व व्यवहार से अवगत कराया जाता है तथा आवश्यक सुझाव दिये जाते हैं।

खण्ड "स"

विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता :-

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेंगे। किसी भी स्थिति में उनकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र अनिवार्य रूप से अपने पास रखना होगा एवं समय-समय पर प्राध्यापकों द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।
3. विद्यार्थी महाविद्यालय में टेग लगा कर परिचय पत्र पहनकर आवेगा अन्यथा उसे परिसर में प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा।
4. प्रत्येक नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं को हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में अपना पंजीयन (नामांकन) कराना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. नामांकन हेतु महाविद्यालय के सूचना पटल पर एवं कक्षाओं में आवश्यक सूचना प्रसारित की जाती है। उसका पालन करना अनिवार्य है।
6. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
7. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक का मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा।
8. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
9. कक्षाओं में अध्यापन के समय न घूमें तथा अध्यापन में किसी भी तरह की बाधा न पहुंचाये। प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
10. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे पुस्तकें निर्धारित संख्या में ही प्राप्त होगी तथा समय से न लौटने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
11. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
12. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।



13. अध्यापन कक्षाओं, प्रयोगशालाओं या वाचनालय के पंखे, लाईट, इलेक्ट्रिक सिनेटरी फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना या दीवारों पर अश्लील शब्द लिखना दण्डात्मक आचरण माना जावेगा।
14. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
15. महाविद्यालय परिसर में गुटखा, मादक पदार्थों का सेवन/धूम्रपान शासन के पत्र क्रमांक 21. 10/आ.उ.शि./समन्वय/2010 रायपुर, दिनांक 18/01/2010 के अनुसार सर्वथा वर्जित है। ऐसा करते पाये जाने पर टी.सी. दिया जा सकता है।
16. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
17. विद्यार्थी राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक समरसता के लिए कार्य करेगा।
18. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है। अतः इधर-उधर थूकना, दीवारों पर गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
19. शिक्षकों/महाविद्यालयीन कर्मचारियों/सहपाठियों से अशिष्ट अशोभनीय व्यवहार कदाचरण माना जावेगा।
20. अपने वाहन को निर्धारित स्टेण्ड पर रखें अन्यथा महाविद्यालय द्वारा अर्थदण्ड लिया जा सकता है।
21. प्रवेशार्थी से महाविद्यालयीन शुल्क उसी दशा में स्वीकार किया जा सकेगा जब उसका फीस कार्ड प्रवेश संयोजक/प्राध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित हो।
22. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जावेगा।
23. विद्यार्थी रैगिंग गतिविधि में सम्मिलित नहीं होगा। रैगिंग एक गंभीर अपराध है।
24. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

2. महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशोध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
2. यदि छात्र किसी अनैतिकता या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।
3. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जावेगा।
4. महाविद्यालय द्वारा संचालित प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में मुख्य परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है।



5. छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में एवं महाविद्यालय परिसर में अनुशासन भंग किये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही (अनुशासनहीनता के लिए म.प्र./छ.ग.वि.वि नियम 1973 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार) की जावेगी।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

अनुशासन भंग होने पर :-

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालयीन अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के तहत महाविद्यालय परिसर के भीतर या बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। इसके अंतर्गत निलम्बन, निष्कासन तथा परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित किये जाने का प्रावधान है।

शिकायत पंजी :-

विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में शिकायत पंजी उपलब्ध है। इसमें वे निःसंकोच अपनी कठिनाईयां लिखकर प्राचार्य को अवगत करा सकते हैं, छात्र इसके अलावा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश :-

1. सभी प्रविष्टियां अनिवार्यतः भरें।
2. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची अनिवार्य रूप से (✓) चिन्ह लगायें।
3. प्रमाण पत्र यथा स्थान क्रमशः संलग्न करें।

प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों (छायाप्रति) की सूची :-

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र
2. चरित्र प्रमाण पत्र
3. जन्मतिथि का प्रमाण पत्र (10वीं की अंकसूची) एवं हायर सेकेण्डरी की अंकसूची
4. पिछली उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकसूची दो प्रतियों में स्वयं सत्यापित
5. निवास प्रमाण पत्र
6. जाति प्रमाण पत्र
7. प्रवजन प्रमाण पत्र
8. गैप प्रमाण पत्र
9. पात्रता प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)
10. आधार कार्ड
11. नियोक्ता का अनुमति पत्र
12. रक्त समूह परीक्षण प्रमाण पत्र

नोट : 1. समस्त प्रविष्टियां पूर्ण करने के उपरांत प्रवेश फार्म जमा करें।

2. आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

3. प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन स्वयं उपस्थित होकर काउंटर पर प्रस्तुत करेगा तथा काउंटर पर पुनः हस्ताक्षर करेगा।



उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण न होने की स्थिति में प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग प्रताड़ना का प्रतिषेध :-

(उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 26 (1) बी के अंतर्गत अधिनियम 2009)

1. रैगिंग एक अजमानतीय दंडनीय अपराध है।
2. रैगिंग मानवीय मूल्यों का हनन है।
3. रैगिंग में निम्नलिखित का समावेश है।

मजाकपूर्ण व्यवहार या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे मानवीय मूल्य का हनन, अपमान या उपहास होता है।

किसी गलत बात के लिए बाध्य करना।

किसी विधि पूर्ण कार्य से प्रविरत करना।

व्यक्तित्व का अपमान या उपहास।

दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध।

क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग।

आपराधिक धमकी।

किसी अश्लील कार्य के लिए बाध्य करना।

विद्यार्थी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

रैगिंग के लिए दण्ड :

5 वर्ष का कारावास।

रु. 5000/- जुर्माना या दोनों।

महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र को प्रतिवर्ष 'रैगिंग' में संलिप्त न होने विषयक शपथ-पत्र का आनलाइन निष्पादन वेबसाइट www.antiragging.in अथवा www.amanmovement.org पर प्रारूप में करना होगा तथा शपथ-पत्र की हार्ड कापी प्रवेश आवेदन पत्र में संलग्न करनी होगी।



महाविद्यालय परिवार

महाविद्यालयीन अधिकारी :-

क्र.	विभाग	अधिकारी का नाम	पदनाम	विषय
1.	कला संकाय	डॉ. आर.के.मिश्रा डॉ.श्रीमती चारुस्मिता वर्मा डॉ. जे.के. खलखो	प्र.प्राचार्य प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक	गणित अर्थशास्त्र समाजशास्त्र
2.	विज्ञान संकाय	प्रो.नारायण कुमार ध्रुव प्रो.हुमन लाल मानकर प्रो.संदीप कुमार सोनी प्रो. एल.के. गवेल	सहायक प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक	राजनीतिशास्त्र गणित भौतिकशास्त्र कम्प्यूटर साइंस
3.	वाणिज्य संकाय	प्रो. डी.आर. बैद्य	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य
4.	विधि संकाय	डॉ. राघवेश पाण्डेय प्रो.सुरेश कुमार	सहायक प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक	विधि विधि
5.	ग्रंथपाल	श्रीमती जयंती सिंह	ग्रंथपाल	—
6.	कीड़ा विभाग	—	—	—

टीप : प्राध्यापकों के शेष रिक्त पदों पर शासन द्वारा एवं जनभागीदारी समिति द्वारा अध्यापन व्यवस्था की जाती है।

महाविद्यालयीन कर्मचारी :-

क्र.	कर्मचारियों का नाम	पदनाम
1.	श्री के.के.साइमन	छात्रावास अधीक्षक
2.	श्री कुलेश्वर बघेल	सहा.ग्रेड-2
3.	श्री दुलेश्वर रावटे	सहा.ग्रेड-3
4.	श्री योगेश कुमार पौषार्य	सहा.ग्रेड-3
5.	श्रीमती विद्या ध्रुव	डाटा एन्ट्री आपरेटर
6.	श्री घनश्याम राव कटारे	प्रयोगशाला तकनीशियन
7.	श्री हरिशचन्द्र गंजीर	प्रयोगशाला तकनीशियन
8.	श्री खिलावन राम साहू	प्रयोगशाला तकनीशियन
9.	श्री घनश्याम साहू	प्रयोगशाला तकनीशियन
10.	श्री राजेन्द्र कुमार गणवीर	प्रयोगशाला तकनीशियन
11.	श्री करमचंद बंजारे	प्रयोगशाला परिचारक
12.	श्री कमलेश कुमार	प्रयोगशाला परिचारक
13.	श्री यशवंत कुमार देशमुख	प्रयोगशाला परिचारक
14.	श्री ललित कुमार मंडावी	प्रयोगशाला परिचारक
15.	श्री प्रवीण कुमार सार्व	प्रयोगशाला परिचारक
16.	श्री बलीराम बंजारे	भृत्य
17.	श्री भलेश्वर कुमार चंदेल	बुक लिप्टर
18.	श्रीमती गीता बाई	स्वीपर

**Govt Ghanshyam Singh Gupt PG College Balod****COLLEGE ACADEMIC CALENDER SESSION 2016-17**

MONTH	PROGRAM	DATE
Jun-16	Reopening of college after vacation	16/06/2016
	Admission for UG first year	16-06-2016 to 31-07-2016
	Admission For other classess	01-07-2016 to 31-07-2016
	World environment Day	05/06/2016
	International Yoga Day	21/06/2016
	First meeting of janbhagidari committee	30/06/2016
	Meeting of staff council	30/06/2016
Jul-16	Starting of Regular classess	01/07/2016
	Plantation Abhiyan	Second Week
	Admission for intermediate class/P.G	01-07-2016 to 31-07-2016
	Admission With the permission of vice chancellor	14/08/2016
	Induction program for students	31/07/2016
Aug-16	First unit Test	01/08/2016
	NSS Registration	02/08/2016
	Eassay,Debat,Speech, Quiz Competition	Second Week
	Indepandance Day(Prize Distribution)	15/08/2016
	Sadbhavana Day(Relly)	20/08/2016
	National Sport Day (Sports Competition)	29/08/2016
	Student Union Election	22-08-2016 to 31-08-2016
	Anti Ragging Lecture	30/08/2016
	Second Unit Test	31/08/2016
	NCC/NSS regular activities	Every Saturday
Sep-16	National Teacher's Day	05/09/2016
	Student Union Oath Taking ceremony	First Week
	Legel literary Day	09/09/2016
	International Hindi Day	14/09/2016
	Establishment of PG coucil &ceremony	16/09/2016
	NSS eistablishment Day	24/09/2016
	First session exam(UG)/Internal assessment exam(PG)	26,27,28-09-2016
Oct-16	National blood Donation Day(camp)	01/10/2016
	Gandhi jayanti & Swachchhata Abhiyan	02/10/2016



	National Balika Day	24/10/2016
	Dassehra Vacation	10-10-2016 to 12-10-2016
	NSS camp	14-10-2016 to 23-10-2016
	Deepawali Vacation	29-10-2016 to 02-11-2016
	National Unity Day(Oath/lecture)	31/10/2016
Nov-16	Third unit Test	03/11/2016
	Parents-Teacher Meeting (UG LEVEL)	First Week
	Alumani Meet	Second Week
	Career counselling,Professional Guidance,project report	Third Week
	Constitutional Day	26/11/2016
	Second session Exam	27,28,29-11-2016
Dec-16	Blood Test camp (NSS)	01/12/2016
	International Nasha nishedh Day	07/12/2016
	Moot court program	16/12/2016
	Fourth unit Test	19/12/2016
	Mathematics Day	22/12/2016
	Winter Vacation	24-12-2016 to 27-12-2016
	Annual sport's/cultural activites(compitition)	21,22,23-12-2016
Jan-17	Semester exam for PG classes	As Per University Time Table
	Vivekanand Jayanti (Youth Day)	12/01/2017
	Internal assesment exam for UG classes/pre.Final exam	21,23,24-01-2017
	Matadata Divas	25/01/2017
	Republic Day	26/01/2017
	Basant Panchami	
	Annual function&prize Distribution ceremony	Last Week
Feb-17	Seminor/Workshop/Environmental study/field work	First Week
	Annual practical exam for UG classes	16-02-2017 to 28-02-2017
	National Science Day (speech, lecture, eassy, Quiz compitition)	29-02-2017
Mar-17	Preparation for exam of all UG class	First Week
	Annual exam for UG classes	As Per University Time Table
	Parents-Teacher Meet for PG classes	First Week
	Regular class for PG &Law classes	All Month



Apr-17	Regular class for PG &Law classes	All Month
	Internal assesment exam for PG classes	Last Week
May-17	Practical/Regular class for PG &Law classes	All Month
	Semester exam for PG classes	As Per University Time Table
	Summer vacation	16-05-2017 to 14-06-2017

- Note -**
1. Academic Calender Can be revised as per guidelines of Hemchand Yadav University Durg (C.G.) /Higher Education Department of Chhattisgarh.
 2. Cocurricular/Other activities will continew to be held as per schedule without dislirbing the regular Classes.
 3. NSS activities will comcece on every Saturday of month.



ANNEXURE – I

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I.....(Full Name of student with admission/registration/enrolment number) S/o d/o
Mr./Mrs./Ms.....Having been admitted to
(Name the institution)

have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institution, 2009, (hereinafter called the “Regulation”) Carefully read and fully understood the provision contained in the said regulations.

2. I have in particular, perused clause 3 of the Regulation and as to what constitutes ragging.
3. I have also. In particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby solemnly aver and undertake that
 - (a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of Regulations.
 - (b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulation.
5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging. I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law for the time being in force.
6. I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission on any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging and further affirm that, in case the declaration found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared thisday of Month ofYear

Signature of deponent

Name :

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _____ (Place) _____ on this the _____ (Day) _____ of _____ (Month) _____ (Year)

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the _____ (Day) _____ of _____ (Month) _____ (Year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER



ANNEXURE – II

AFFIDAVIT BY PARENTS/GUARDIAN

1 Mr./Mrs./Ms..... (Full Name of Student) father/mother/guardian of
mr/mrs/ms.....(Full Name of student with admission/registration/enrolment number)

Having been admitted to (Name the institution)
have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational
Institution, 2009, (hereinafter called the “Regulation”) Carefully read and fully understood the provision
contained in the said regulations.

2. I have in particular, perused clause 3 of the Regulation and aware as to what constitutes ragging.

3. I have also. In particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the
penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting
ragging, actively of passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4. I hereby solemnly aver and undertake that

(a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of
Regulations.

(b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be
constituted as ragging under clause 3 of the Regulation.

5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging. I am liable for punishment according to clause 9.1 of the
Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal
law for the time being in force.

6. I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission on any institution in the
country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging and
further affirm that, in case the declaration found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be
cancelled.

Declared this day of Month ofYear

Signature of deponent

Name :

Address:

Telephone/Mobile No.

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true the best of my knowledge and of the affidavit is false
and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _____ (Place) _____ on this the _____ (Day) _____ of _____ (Month)
(Year)

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the _____ (Day) _____ of _____ (Month) _____ (Year)
after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER